

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम डातल जमाबंदी सं. 2014-11 जमा. 2076 (वर्ष 2020) राजमाफी के खाता सं. 237 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिरसा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खाते-नी खाता सं.	भू प्रबंध खाते-नी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
237	कंचनबाई पुत्री मथुरालाल कसंतीबाई पुत्री मथुरालाल वापुलाल पु. मथुरालाल रामप्रगाल पु. मथुरालाल शोभाराम पु. मथुरालाल गंडलाल पु. शान्तिबाई जाति - चमार	237	कंचनबाई पुत्री मथुरालाल कसंतीबाई पुत्री मथुरालाल वापुलाल पु. मथुरालाल रामप्रगाल पु. मथुरालाल शोभाराम पु. मथुरालाल गंडलाल पु. शान्तिबाई जाति - चमार	कंचनबाई पुत्री मथुरालाल कसंतीबाई पुत्री मथुरालाल वापुलाल पु. मथुरालाल रामप्रगाल पु. मथुरालाल शोभाराम पु. मथुरालाल गंडलाल पु. शान्तिबाई जाति - बैरवा

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. रामप्रगाल पु. मथुरालाल जाति-बैरवा नि. रामपुरिया
2. अरविंद कुमार पु. रमेशचन्द्र जाति-मेधवाल नि. रामपुरिया
3. रमेशचंद्र पु. पुरीलाल जाति-बैरवा नि. रामपुरिया
4.

हस्ताक्षर

रामप्रगाल
अरविंद
बैरवा

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम डातल के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी
प0म0...डातल
21/07/25

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अ0नि0वृ0

3

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/1178

दिनांक : 21/07/2025

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम.....डावत..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार/पेरोकार (राजस्व)
राजपुर


आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/241

दिनांक : 08/08/25

वादी/प्रार्थी के ग्रामडावत..... के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार.....राजपुर..... की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित चुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार.....राजपुर.....को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0